न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर ।
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या :– 16 / 2023 (2022 / 5)

अपीलार्थीगण :–

1. गोपाललाल गुप्ता पुत्र रामस्वरूप
2. श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नी गोपाललाल
   जातियान् गुप्ता, निवासीगण :– बी–176 मंगल मार्ग, जयपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

01. अनिलकुमार अग्रवाल पुत्र योगेन्द्रकुमार
02. श्रीमती इन्दुबाला अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल
    जातियान् अग्रवाल, निवासी 60, नेहरू पार्क, जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 14.03.2006 जो तहसीलदार लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

01. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति (अपीलार्थीगण)।
02. अधिवक्ता श्री अवतार सिंह (रेस्पो0 संख्या 1 ता 2)

–: आदेश :– **दिनांक :–21.07.2023**

अपीलार्थीगण ने यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 14.03.2006 जो तहसीलदार लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि गांव मोगडा खुर्द तहसील लूणी के खसरा नं0 97 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय अपीलार्थीगण, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा योगेन्द्र कुमार व कमलादेवी की खातेदारी भूमि है। योगेन्द्र कुमार व कमलादेवी का स्वर्गवास हो चुका है अतः उनके बाद अपीलार्थीगण व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ही उनके वारिसान् है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त भूमि की सार संभाल व काश्त की जा रही है। अपीलार्थीगण अप्रेल 2023 में जोधपुर आए एवं हल्का पटवारी से सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु जमाबन्दी प्राप्त की तब अपीलार्थीगण के ध्यान में जानकारी में आया कि खसरा संख्या 97 की भूमि का वर्ष 2006 में तथाकथित तौर पर बंटवाड़ा दर्शाकर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:04:51 IST
Reason: SelfAttested

अलग–अलग खातों में विभाजित कर दी गई। इस पर अपीलार्थीगण तहसील कार्यालय पहुंचकर उपरोक्त बंटवाड़े एवं नामान्तरकरण की जानकारी ली तो दिनांक 05.04.2023 को अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि बिना किसी बंटवाड़े के अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कर दिया गया जबकि ऐसा कोई विभाजन नहीं हुआ जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है। इसी आधार पर उक्त बंटवाड़ा खारिज किये जाने योग्य हैं।

अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अवतार सिंह ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 05.07.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि गांव मोगडा खुर्द तहसील लूणी के खसरा नं0 97 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय अपीलार्थीगण, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा योगेन्द्र कुमार व कमलादेवी की सहखातेदारी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि थी। उक्त भूमि के सहखातेदार योगेन्द्रकुमार एवं कमलादेवी का निधन हो गया जिसके वारिसान् अनिलकुमार एवं अनिता है जो अपील में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट है साक्ष्य के लिए वर्तमान जमाबन्दी पेश की। उक्त भूमि का कभी भी बंटवाड़ा नही हुआ और न ही अपीलार्थीगण की जानकारी में ऐसा कोई विभाजन है तथा मौके पर भी उक्त खसरे की भूमि एक चक के रूप में है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरे की भूमि को अलग–अलग खातों में इन्द्राज कर कर दी गई। अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल लेने पर जानकारी में आया कि तथाकथित बंटवाड़ा दिनांक 08.03.2006 की अनुपालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण से उक्त भूमि अलग–अलग बट्टा नम्बर में दर्ज कर दी गई। अपीलार्थीगण ने तथाकथित बंटवाड़ा बाबत् सूचना चाही तो तहसीलदार लूणी द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड शाखा में उक्त विभाजन आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त आदेश की नकल दिया जाना सम्भव नहीं है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस तथाकथित बंटवाड़े के आधार पर स्वीकृत किया गया वह विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है जिसे अपास्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि तथाकथित बंटवाड़ा व अपीलाधीन नामान्तरकरण के बाबत् अभिज्ञता जाहिर की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की लिखित में हमी दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:04:51 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन यह है कि जिस बंटवाड़े के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उक्त बंटवाड़ा सहखातेदारों के मध्य नहीं हुआ। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने भी लिखित में सहमति देकर बतलाया कि ऐसा कोई बंटवाड़ा सहखातेदारों के मध्य नहीं हुआ और अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने की सहमति दी। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 14.03.2006 जो तहसीलदार लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूणी को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:04:51 IST
Reason: SelfAttested